v/;k; & rhu

foHkkxh; inksUufr lfefr dh cSBd

वर्ष के प्रारम्भ में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के लिए 31 प्रकरण लंबित थे, किन्तु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एक ही प्रकरण की दो नस्तियों को एक साथ मर्ज कर देने से वर्ष के प्रारंभ में वास्तव में 30 प्रकरण लंबित थे । प्रतिवेदनाधीन वर्ष में शासन के 33 विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिये 117 प्रस्ताव प्राप्त हुए । प्रतिवेदनाधीन वर्ष में कुल 147 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाना थीं, इनमें से 104 बैठकें सम्पन्न हुई । इन बैठकों में विचार क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अधिकारियों, पदोन्नति के लिये अनुशंसित किए गए अधिकारियों, विभागीय जॉच लंबित होने के कारण जिन अधिकारियों की अनुशंसायें बंद लिफाफों में रखी गई एवं जिन अधिकारियों के प्रकरणों का परिभ्रमण द्वारा निराकरण किये जाने की अनुशंसा की गई है, उनका विस्तृत विवरण (पदनाम एवं संख्या) परिशिष्ट–13 में दिया गया है ।

2/ कुल 40 प्रकरणों में गोपनीय प्रतिवेदन, वरिष्ठता सूची, विभागीय जाँच की जानकारी, मूल्यांकन पत्रक की जाँच इत्यादि से संबंधित जानकारी विभागों द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उपलब्ध न कराये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं । उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–14 में दिया गया है ।

3/ लंबे अंतराल के बाद भी आवश्यक जानकारी /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आयोग को विवश होकर विभिन्न विभागों के विभागीय पदोन्नति के 03 प्रकरणों को नस्तीबद्ध करना पड़ा । उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–15 में दिया गया है ।

4/ शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त पदोन्नति के प्रस्तावों के निपटारे में विलम्ब होने के मुख्य कारण निम्नानुसार है :–

(1) संबंधित संवर्ग की अद्यतन पदक्रम सूचियाँ प्रकाशित नहीं हो पाना,

(2) कुछ अधिकारियों की संगत वर्षो की चरित्रावलियॉ या तो पूर्ण रूप से नहीं लिखी जाना या उनमें दी गई अभियुक्तियॉ अस्पष्ट होना, अथवा

(3) गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित विपरीत अभ्युक्तियॉ संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में संसूचित नहीं की जाना ।

(4) विभागों द्वारा बैठकों से सम्बन्धित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शासकीय सेवकों की पदोन्नतियाँ समय पर नहीं हो पाती हैं तथा कई बार उनके सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि इसमें शासकीय सेवकों की कोई गलती नहीं होती ।

5/ जिन शासकीय सेवकों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा उनकी पदोन्नति/ वरिष्ठता इत्यादि का समय सीमा में निराकरण कस्ने के आदेश किए जाते हैं, उन प्रकरणों में भी कई विभाग आदेश का पालन समय पर नहीं करते हैं तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अवमानना प्रकरण दायर होने पर आयोग की बैठक का कार्यवाही विवरण सहमति के लिये भेजते हैं । इन प्रकरणों में भी कई बार अधूरी जानकारी भेजी जाती है । इस कारण आयोग को प्रकरण के निराकरण और परीक्षण करने में काफी कठिनाई होती है ।